

ख्या 119/22 सरकार बनाम पालकी वगै.

आज्ञा का  
दिनांक

आज्ञा या कार्यवाही

पत्र क्रमांक व  
दिनांक जो इस  
आज्ञा के पालनाए  
प्रेषित किया

28.02.2022

आज्ञा यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी  
उपस्थित / अनुपस्थित है।

पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट  
प्रस्तुत की गई है कि श्री पालकी वगै. पुत्र श्री दण्डवत  
जाति बावरी निवासी पालकी ने फसल रबी / ~~खरीफ~~ सम्वत  
/ सन् ..... में गांव/चक 28 NP सिंचित/असिंचित  
कुल 2.17 हैक्टेयर आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध काश्त की है।

आप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954  
की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया।  
आप्रार्थी स्वयं बावजूद तामील के उपस्थित/अनुपस्थित उसके विरुद्ध  
कार्यवाही की जाती है।

वह राजकीय भूमि पर अवैध काश्त करने से अतिक्रमी सिद्ध  
है। अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं  
अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से काश्त की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य  
सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व  
मालकाना की 50 गुणा पेनल्टी राशि रु० 285/- अखरे  
रूपये दो सौ पचास मात्र अधिरोपित की जाती है।

भू० अभिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्धा फसल को निलाम  
करने हेतु लिखा जावे टी.आर.ए. को पेनल्टी की मांग कायम कराई जावे  
पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसुली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से  
बेदखल कर कब्जा बहक सज्ज सरकार हेतु लिखा जावे। लिखा जावे

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।